

Memo No : 622904090721014344

Date : 09-07-2021

प्रभाती : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती सुश्री : Shobha sinha W/O RAVINDRA PRASAD,
मोहल्ला : Near - robinhood school kaitha ramgarh RAMGARH
RAMGARH , 829122
9431163434

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह स. - 0260000920000M0 वार्ड स. 26 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार पति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्र.सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	40.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		40.00



To be signed by the Applicant

नोट -

1. कर निर्धारण की सूची RAMGARH NAGAR PARISHAD Website: suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. निष्पत्ती वर्ष 2014 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैनासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निदिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य वास्तव जाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. RAMGARH NAGAR PARISHAD द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इनमरतो/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मासिकों / दखतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपको कोई भी सवाल है तो यह विशिष्ट सरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.